पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2092
दिनांक-28.08.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम

- वादी से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.08.2025 को वादी श्री जुवैर अहमद पुत्र स्व0 सगीर अहमद निवासी सेक्टर 03 थाना जानकीपुरम लखनऊ द्वारा शिकायत किया गया कि विपक्षीगणों द्वारा एकराय होकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने व जान से मारने की धमकी दी है तत्काल उपरोक्त शिकायत पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 0196/2025 धारा 191(2)/351(2)/352 BNS बनाम 01.दादू 02.अरशद 03. अन्य 04 अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 प्रवीन कुमार को सुपुर्द हुई।

दिनांक 27.08.2025 को उ0नि0 प्रवीन कुमार मय हमराह थाना क्षेत्र में मामूर थे कि सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त के वादी जुवेर अहमद उपरोक्त के विपक्षी इरशाद उर्फ दादु पुत्र स्व0 सरदार अली निवासी म0नं0-3/1444 सेक्टर 03 जानकीपुरम विस्तार जानकीपुरम लखनऊ मुकदमा लिखाने को लेकर विवाद एवं झगड़ा कर रहा था। समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, परन्तु नही माना और अधिक उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगा। शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका होने लगी विपक्षी इरशाद उर्फ दादु उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS में गिरफ्तार मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानों व जनपदो से जानकारी की जा रही है।

02--गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. इरशाद उर्फ दादु पुत्र स्व0 सरदार अली निवासी म0नं0-3/1444 सेक्टर 03 जानकीपुरम विस्तार जानकीपुरम लखनऊ (व्यवसाय –ई-रिक्सा चालक)।

03-अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

01-मु0अ0स0 323/19 धारा 354क/376/506भादवि0 व भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट थाना जानकीपुरम

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम

1. उ0नि0 प्रवीन कुमार थाना जानकीपुरम
2. का0 रविशंकर थाना जानकीपुरम
3. का0 राहुल तिवारी थाना जानकीपुरम

02-अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा बन्द मकानों का ताला तोड़कर सोने चाँदी के आभुषण चोरी करना।

03-गिरफ्तार / संरक्षण में अभियुक्तों / बाल अपचारी का विवरणः-

01. असगर पुत्र मो0 कासिम अन्सारी निवासी ग्राम पुनौरा थाना पुनौरा जनपद मुजफ्फरपुर बिहार हाल पता नौबस्ता पुलिया निकट गौसिया मस्जिद अली नगर थाना मड़ियाव लखनऊ उम्र 21 वर्ष (व्यवसाय –टाइल्स का काम)
02. अदनान पुत्र असलम कुरैशी निवासी अली नगर नौबस्ता पुलिया कब्रिस्तान के पास थाना मड़ियाव लखनऊ उम्र 20 वर्ष (व्यवसाय –कार मैकेनिक)
03. गुलाम अहमद रजा उर्फ अफरीदी पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी गौसिया मस्जिद के पास अली नगर थाना मड़ियाव लखनऊ उम्र 23 वर्ष (व्यवसाय –चिकन कारीगरी)
04. रिजवान अहमद पुत्र मुश्ताक कुरैशी निवासी गौसिया मस्जिद के पास अली नगर थाना मड़ियाव लखनऊ उम्र 30 वर्ष (व्यवसाय –चाय की दुकान)
05. बाल अपचारी उम्र करीब 15 वर्ष संरक्षण में

04-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 471/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएसएस थाना मडियांव लखनऊ
2. मु0अ0सं0 513/25 धारा 305ए बीएनएसएस थाना मडियांव लखनऊ
3. मु0अ0सं0 169/25 धारा 305/331(4) बीएनएसएस थाना अलीगंज लखनऊ

05-आपराधिक इतिहास अभियुक्त असगर पुत्र मो0 कासिम अंसारी

01. मु0अ0सं0 522/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ

06-बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद गले का हार पीली धातु का जिसका वजन 17.060 ग्राम
- 01 अदद चैन पीली धातु की जिसका वजन 3.990 ग्राम,
- 01 अदद मांग टीका पीली धातु का जिसका वजन 2.320 ग्राम
- 01 अदद अंगूठी लेडीज पीली धातु की जिसका वजन 1.770 ग्राम
- 01 अदद लाकेट पीली धातु का जिसका वजन 2.240 ग्राम
- 01 अदद मंगलसुत्र लाकेट पीली धातु का जिसका वजन 2.280 ग्राम
- 01 अदद लाकेट पीली धातु का जिसका वजन 0.790 ग्राम
- 01 जोड़ी अदद झुमकी पीली धातु की 6.150 ग्राम
- 01 अदद नथुनी पीली धातु की जिसका वजन 2.060 ग्राम
- 01 अदद पायल सफेद धातु की वजन 20.410 ग्राम
- 01 अदद कमरबन्द सफेद धातु की जिसका वजन 101.750 ग्राम
- 08 अदद सिक्के सफेद धातु के जिनका वजन 39.560 ग्राम

- 01 जोड़ी भारी पायल सफेद धातु की जिसका वजन 119.660 ग्राम
- 01 अदद करधनी सफेद धातु की जिसका वजन 15.620 ग्राम
- 01 जोडी टाप्स पीली धातु के जिनका वजन 02.580 ग्राम
- 01 अदद अंगुठी पीली धातु की जिसका वजन 0.950 ग्राम
- 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु की जिनका वजन 8.480 ग्राम
- 01 अदद अंगुठी पीली धातु की जिसका वजन 1.950 ग्राम
- 01 जोड़ी झाला पीली धातु का जिसका वजन 3.330 ग्राम
- 01 जोड़ी टाप्स पीली धातु के जिनका वजन 1.300 ग्राम
- 01 अदद नथ पीली धातु की वजन 0.150 ग्राम
- 01 अदद नाक कील पीली धातु की जिसका वजन 0.200 ग्राम
- 01 जोड़ी हाथफूल सफेद धातु का जिनका वजन 49.190 ग्राम
- 03 जोड़ी पायल सफेद धातु की जिनका वजन 70.490 ग्राम
- 5 अदद जैन्टस अंगुठी सफेद धातु की जिनका वजन 16.590 ग्राम
- 01 जोड़ी भारी पाजेब सफेद धातु की जिसका वजन 101.560 ग्राम
- नगद 4000/- रूपये (500 x 8)

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री नितिन कुमार,
2. उ0नि0 संजय कुमार,
3. उ0नि0 शुभम तिवारी
4. उ0नि0 अखिलेश सिंह
5. हे0का0 सन्दीप कनौजिया,
6. हे0का0 आकाश सिंह
7. का0 मयंक कुमार
8. का0 धीरज यादव
9. का0 राम सिहं राणा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2089
दिनांक- 28.08.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- **थाना मडियांव पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर / अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**
- **01 अदद ई रिक्शा की बॉडी, 04 अदद बैटरी (ई रिक्शा की), 02 अदद टायर (ई रिक्शा के) बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.08.2025 को आवेदक श्री अतुल कुमार शुक्ला पुत्र शत्रोहन शुक्ला निवासी गौरभीठ थाना मडियांव लखनऊ द्वारा बावत वादी को शक है कि वादी का ई-रिक्शा नं0 UP32XN 7510 को पडोसी शुभम रावत द्वारा गायब कर दिया गया है के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 510/2025 धारा 303(2) बीएनएस** बनाम बाइस्तवा शुभम रावत पुत्र रंजित रावत निवासी गौरभीठ थाना मडियांव लखनऊ के पंजीकृत किया गया।

दिनांक 27.08.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/ अभियुक्तगण की तलाश में दाउदनगर चौराहे पर पर मामूर थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति चोरी के ई रिक्शा व बैटरी के साथ पीपा पुल से घैला गांव की ओर जाने वाले रास्ते के पास में खाली प्लाट में ई रिक्शा के टायर व बैटरी खोल रहे हैं। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है। मुखबिरखास की सूचना पर मुखबिरखास द्वारा बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम शुभम रावत पुत्र रंजीत रावत निवासी गौरभीट थाना मडियांव लखनऊ उम्र 20 वर्ष, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अनिल सिन्हा पुत्र जितेन्द्र सिन्हा निवासी केशवनगर निकट सुरभी स्कूल के पास थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम बलवन्त सिंह उर्फ झुक्का पुत्र रणविजय सिंह निवासी श्याम विहार कालोनी फैजुल्लागंज थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष बताया।

जिनके कब्जे से एक अदद ई रिक्शा UP32XN7510 की बॉडी, चार अदद बैटरी (ई रिक्शा की), दो अदद टायर (ई रिक्शा के) चोरी का बरामद हुआ। **बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।** पकड़े गये व्यक्तियों को उनके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया।

दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरीका

अभियुक्तगण द्वारा ई रिक्शा चोरी करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शुभम रावत पुत्र रंजीत रावत निवासी गौरभीट थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष (व्यवसाय –ई रिक्शा चालक)
2. अनिल सिन्हा पुत्र जितेन्द्र सिन्हा निवासी केशवनगर निकट सुरभी स्कूल के पास थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष (व्यवसाय – प्रिटिंग प्रेस का काम)
3. बलवन्त सिंह उर्फ झुक्का पुत्र रणविजय सिंह निवासी श्याम विहार कालोनी फैजुल्लागंज थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष
4. **04-बरामदगी**-

- 01 अदद ई रिक्शा UP32XN7510 की बॉडी
- 04 अदद बैटरी (ई रिक्शा की)
- 02 अदद टायर (ई रिक्शा के) चोरी का

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री अनिरुद्ध कुमार मिश्रा

02.उ0नि0 श्री अमित कुमार साहू

03.हे0का0 अशफाक अहमद

04.का0 नरेन्द्र प्रताप यादव

05.का0 रिंकू कुमार

06.का0 अजीत कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2094
दिनांक- 28.08.2025

जोन- उत्तरी / थाना मलिहाबाद

- **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा भैस चोरी करने वाले गिरोह के 07 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार व 01 नफर बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26-08-2025 को ग्राम कसमण्डी खुर्द थाना मलिहाबाद लखनऊ के रहने वाले श्री कमलेश पुत्र स्व0 भूप व श्री शिब बालक पुत्र जगदेव के भैंस व पडवा को बाग से चोरो द्वारा चोरी किया गया था इस सम्बन्ध मे वादी मुकदमा कमलेश पुत्र स्व0 भूप द्वारा थाना स्थानीय पर एक किता प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 184/2025 धारा- 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये 07 नफर अभियुक्तगण 1. रेहान उर्फ खज्जू पुत्र स्व0 जाकिर नि0 ग्राम कसमंडी खुर्द थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष 02. शरीफ पुत्र स्व0 बाबू उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कसमंडी खुर्द थाना मलिहाबाद लखनऊ 03. दिलशाद पुत्र स्व0 चुन्ना हैदर निवासी ग्राम सैवरी गद्दी खेड़ा दुर्गागंज थाना काकोरी उम्र करीब 26 वर्ष 04. वारिस पुत्र रहीश निवासी ग्राम सहजना थाना माल उम्र करीब 30 वर्ष 05. शारूख उर्फ खल्लू पुत्र मजीद निवासी ग्राम कसमंडी खुर्द उम्र करीब 22 वर्ष 06. अरमान पुत्र स्व0 उस्मान नि0 ग्राम बसना खेड़ा थाना माल लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष, 07. सुभाष पुत्र रूपनरायण निवासी ग्राम अमानीगंज थाना मलिहाबाद उम्र करीब 20 वर्ष तथा 8. बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष को ग्राम हसना पुर पुलिया से 200 मीटर पहले आज दिनांक 28.08.2025 को घटना में प्रयुक्त डाला महिन्द्रा पिकअप नं0 UP30T9608 मय अभियुक्तगण द्वारा मु0अ0स0 183/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित बेची गयी भैस के पैसे निजी खर्च के अलावा बचे शेष रुपये 1400 /- रुपये बरामद व 07 अदद मोबाइल फोन घटना में प्रयुक्त व चोरी की गयी एक भैंस व एक पडवा के साथ गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया , भैंस व पडवा को गौशाला मलिहाबाद में गौशाला प्रवंधक को सुपुर्द किया गया व घटना मे प्रयुक्त डाला महिन्द्रा पिकअप न0 UP30T9608 को धारा 207 एमबी एक्ट मे सीज किया गया है।

बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरीका

अभियुक्तगण द्वारा एक साथ मिलकर भैंस व प़डवा चोरी कर लेना

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 184/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

02-मु0अ0सं0 183/2025 अ0 धारा 303(3) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्तों / बाल अपचारी का विवरण

01-रेहान उर्फ खज्जू पुत्र स्व0 जाकिर नि0 ग्राम कसमंडी खुर्द थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष (व्यवसाय- गाडी चलाता है।)

02-शरीफ पुत्र स्व0 बाबू उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कसमंडी खुर्द थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

03-दिलशाद पुत्र स्व0 चुन्ना हैदर निवासी ग्राम सैवरी गद्दी खेड़ा दुर्गागंज थाना काकोरी उम्र करीब 26 वर्ष (व्यवसाय- डेयरी)

04. वारिस पुत्र रहीश निवासी ग्राम सहजना थाना माल उम्र करीब 30 वर्ष (व्यवसाय- डेयरी)

05. शारूख उर्फ खल्लू पुत्र मजीद निवासी ग्राम कसमंडी खुर्द उम्र करीब 22 वर्ष (व्यवसाय- घरेलू कार्य)

06.अरमान पुत्र स्व0 उस्मान नि0 ग्राम बसना खेड़ा थाना माल लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष (व्यवसाय-दूध बेचना)

07. सुभाष पुत्र रूपनरायण निवासी ग्राम अमानीगंज थाना मलिहाबाद उम्र करीब 20 वर्ष (व्यवसाय- ड्राइवर)

8. बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष संरक्षण में

05-बरामदगी

- चोरी गयी भैंस व पडवा
- 07 अदद मोबाईल फोन
- घटना मे प्रयुक्त डाला महिन्द्रा पिकअप न0 U.P.30T9608
- 1400 /- रुपये

06-शरीफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 307/2016 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना मलिहाबाद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 97/2023 धारा 323/325/341 भादवि थाना मलिहाबाद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 109/025 धारा 191(2)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

07- वारिस पुत्र रहीश का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 71/025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना माल लखनऊ
2. मु0अ0सं0 112/025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना माल लखनऊ
3. मु0अ0सं0 117/025 धारा 317(2) /317(4) बीएनएस थाना माल लखनऊ
4. मु0अ0सं0 346/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना विभूति खण्ड लखनऊ

08 अभियुक्त रिहान उर्फ खज्जू का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 109/025 धारा 191(2)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

2 मु0अ0सं0 299/2024 धारा 351(2)/352 बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

09-अभियुक्त शारुख उर्फ खइलू का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 109/025 धारा 191(2)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2088
दिनांक 28/08/2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **संगठित धोखाधड़ी गिरोह का मास्टरमाइंड मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.08.2025 को शिकायतकर्ता श्री अभिषेक सिंह निवासी ग्राम भुलौली, जिला सीवान, बिहार द्वारा थाना मोहनलालगंज पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता ने अवगत कराया कि उन्होंने दिनांक 13.11.2019 को एच.के. इन्फ्राविजन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामीगण श्री विनोद कुमार उपाध्याय, श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय एवं कम्पनी से जुड़े श्री ओंकारनाथ पाण्डेय से गाटा संख्या 900 का एक प्लॉट ₹ 9,65,000/- देकर क्रय किया था, जिसकी विधिवत रजिस्ट्री की गई थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, रजिस्ट्री होने के बावजूद उन्हें अब तक भूमि का कब्जा नहीं दिया गया। आरोप है कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा एक संगठित आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत छलपूर्वक व धोखाधड़ी से कार्य किया गया। वर्ष 2024 में जब शिकायतकर्ता द्वारा भूमि के कब्जे की मांग की गई, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज में **मु0अ0स0-319/25** धारा-111(2)(b)/316(5)/318(4)/351(3) BNS पंजीकृत हुआ था।

विवेचना के दौरान नामित अभियुक्तों के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी एवं संगठित अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए। वर्तमान में अभियुक्तगण **विनोद कुमार उपाध्याय एवं प्रमोद कुमार उपाध्याय जिला कारागार लखनऊ में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं**। अन्य नामित अभियुक्त ओंकारनाथ पाण्डेय फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

दिनांक 27.08.2025 को मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की तलाश में जनपद बलिया में दबिश देते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। आज दिनांक 28.08.2025 को गिरफ्तार अभियुक्त ओंकारनाथ पाण्डेय को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-मॉड्स ऑपरेंडी (अपराध की कार्यप्रणाली):-

उक्त संगठित गिरोह लोगों को फर्जी तरीके से लुभावने प्लॉट ऑफर देकर ठगता था। स्वयं को प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनी का प्रतिनिधि बताकर प्लॉट की बिक्री की जाती थी, परन्तु बाद में कब्जा नहीं दिया जाता। सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियोंको विशेष रूप से निशाना बनाया जाता था, क्योंकि उनकी ड्यूटी व्यस्तताओं के कारण वे भूमि निरीक्षण नहीं कर पाते थे। इस तरह, योजनाबद्ध ढंग से कई व्यक्तियों को धोखा देकर करोड़ों की ठगी की गई।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-ओंकारनाथ पाण्डेय उर्फ मिन्टू पुत्र कृष्णानन्द पाण्डेय नि0 राजागांव खरौनी थान बांसडीह जनपद बलिया उम्र 42 वर्ष, व्यवसाय- प्रापट्री डीलर।

04-पूर्व में गिरफ्तार अन्य आरोपीगण:

1.प्रमोद कुमार उपाध्याय पुत्र स्व. हरिद्वार उपाध्याय पता – ओमेक्स सिटी, बिजनौर रोड, थाना आशियाना लखनऊ (घोषित पुरस्कार अभियुक्त) गिरफ्तारी दिनांक – 15.06.2025।

2. मदन राम पुत्र विश्वनाथ निवासी – राजा गांव खरौनी, थाना बांसडीह, बलिया (एडिशनल डायरेक्टर – एच.के. इन्फ्रा प्रा0 लि0) गिरफ्तारी दिनांक – 10.07.2025।

3. सीमा उपाध्याय पत्नी प्रमोद उपाध्याय नि0- ओमेक्स सिटी, बिजनौर रोड, थाना आशियाना लखनऊ गिरफ्तारी दिनांक-23.07.2025

05-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 319/25 धारा 111(2)(b)/316(5)318(4)/338/336(3)/340(2)/351(3)/61(2) BNS थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

06- अभियुक्त ओंकारनाथ पाण्डेय उर्फ मिन्टू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 226/25 धारा 111(2)(b)/316(5)318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(3)/61(2) BNS थाना मोहनलालगंज लखनऊ।
2. मु0अ0स0 322/24 धारा 147,148,149,160,188,268,307,323,325,336,352,427,504,506 IPC थाना पीजीआई लखनऊ।
3. मु0अ0स0 318/24 धारा 147,148,149,307,323,336,504,506 IPC थाना पीजीआई लखनऊ।
4. मु0अ0स0 53/19धारा 406,420,506 IPC थाना पीजीआई लखनऊ।

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

☞ थाना मोहनालालगंज लखनऊ कमि0 की पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2091
दिनांक 28/08/2025

- **जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज**
- **शराब की दुकान का शटर काटकर चोरी करने वाले 03 शातिर चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 57,950/- रूपये नगद व शटर काटने के उपकरण (हथौड़ा व रॉड) बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-25.08.2025 को वादिनी श्रीमती राधा अवस्थी, निवासी ग्राम परेहटा, थाना गोसाईगंज, लखनऊ द्वारा सूचना दी गई कि उनकी अंग्रेजी शराब की दुकान, जो ग्राम खुजौली में स्थित है, के शटर को अज्ञात चोरों द्वारा काटकर उसमें रखे रुपये व शराब चोरी कर ली गई है। इस घटना की सूचना पर थाना मोहनलालगंज, पर मु0अ0सं0-338/25, धारा-305(a) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना के सफल अनावरण के लिए थाना स्थानीय पर दो टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने तत्काल पतारसी सुरागरसी प्रारंभ करते हुए 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 28.08.2025 को नगराम रोड थाना क्षेत्र मोहनलालगंज से चोरी में शामिल 03 अभियुक्तगणों 01-मुकेश पुत्र पुत्तीलाल नि0 शिवढरा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 19 वर्ष, 02-ललित रावत पुत्र लल्लू नि0 उपरोक्त उम्र 23 वर्ष, 03-मोहित पुत्र जमुना प्रसाद नि0 उपरोक्त उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने बताया कि उनके द्वारा चोरी करने से पूर्व शराब की दुकान पर जाकर पहले रैकी की गयी थी फिर उसी रात को रॉड व हथौड़े से खुजौली शराब की दुकान के शटर को काटकर चोरी किया गया था । अभियुक्तों के निशान देही पर चोरी गए 57,950/-रुपये नगद व रॉड व हथौडा बरामद किये गये। बरामदगी के पश्चात तीनों अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मुकेश पुत्र पुत्तीलाल नि0 शिवढरा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 19 वर्ष , व्यवसाय- मजदूरी
2. ललित रावत पुत्र लल्लू नि0 उपरोक्त उम्र 23 वर्ष, व्यवसाय- मजदूरी
3. मोहित पुत्र जमुना प्रसाद नि0 उपरोक्त उम्र 24 वर्ष, व्यवसाय- मजदूरी

04-बरामदगी-

- 57,950/ रूपये
- 01 अदद लोहे का रॉड व 01 अदद लोहे का हथौड़ा (आलानकब)

05-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0स0-338/25 धारा-305(a)/317(2) bns थाना मोहनलालगंज लखनऊ ।

06-गिरफ्तारी टीम-

थाना मोहनलालगंज लखनऊ पुलिस टीम